# महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय,अजमेर

## प्रबन्ध बोर्ड की 76वीं बैठक
## कार्यवृत्त( Minutes )

**दिनांकः 08.08.2011** **समयः प्रातः 11.30 बजे**

प्रबन्ध बोर्ड की 76वीं बैठक दिनांक 08.08.2011 प्रातः 11.30 बजे बृहस्पति भवन स्थित प्रबन्ध बोर्ड बैठक कक्ष में आयोजित हुई, जिसमें निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुएः–

| | | |
|---|---|---|
| 01. | श्री अतुल शर्मा, आई.ए.एस., कुलपति | अध्यक्ष |
| 02. | प्रो. के.के. शर्मा, अजमेर<br>(कुलपति द्वारा नामनिर्देशित आचार्य ) | सदस्य |
| 03. | प्रो. एस.एन.सिंह, अजमेर<br>(कुलपति द्वारा नामनिर्देशित आचार्य ) | |
| 04. | प्रोफेसर रमाकांत, जयपुर<br>( कुलाधिपति द्वारा नामनिर्देशित शिक्षाविद् ) | सदस्य |
| 05. | प्रोफेसर पी.एस. वर्मा, जयपुर<br>( राजस्थान सरकार द्वारा नामनिर्देशित शिक्षाविद् ) | सदस्य |
| 06. | श्री रघुनन्दन शर्मा ( डॉ. रघु शर्मा ) विधायक, केकड़ी<br>( विधानसभा अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित ) | सदस्य |
| 07. | श्री सुबीर कुमार,<br>आयुक्त, कॉलेज शिक्षा निदेशालय,<br>राजस्थान सरकार, जयपुर | सदस्य |
| 08. | श्री बलवंत सिंह<br>कुलसचिव | सदस्य सचिव |

**<u>अनुपस्थित सदस्य</u>**

| | | |
|---|---|---|
| 01. | श्री कमल बैरवा, विधायक निवाई (टौंक)<br>(विधानसभा अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित) | सदस्य |
| 02 | शासन सचिव, वित्त विभाग राजस्थान सरकार, जयपुर) | सदस्य |
| 03. | शासन सचिव, योजना विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर | सदस्य |

सर्वप्रथम माननीय कुलपति महोदय ने माननीय विधायक श्री रघु शर्मा एवं श्री कमल बैरवा के प्रबंध बोर्ड में पुनः मनोनयन पर हर्ष व्यक्त करते हुए बोर्ड की बैठक में उपस्थित विधायक श्री रघु शर्मा का स्वागत किया एवं प्रबंध बोर्ड की बैठक में सभी सदस्यों का सहयोग प्रदान करने का अनुरोध किया। इसके पश्चात बोर्ड की कार्यवाही प्रारंभ करने हेतु कुलसचिव को निर्देशित किया गया। प्रबंध बोर्ड की बैठक में प्रस्तुत मदों पर निम्नानुसार निर्णय किये गये :

| मद | विवरण | अनुभाग / विभाग |
|---|---|---|
| **मद सं. 1** | प्रबन्ध बोर्ड की दिनांक 26.03.2011 को सम्पन्न हुई 75वीं बैठक के कार्यवृत्त (Minutes) की पुष्टि करना ।<br><br>उक्त कार्यवृत्त की एक प्रति सभी माननीय सदस्यों को इस कार्यालय के पत्र क्रमांक एफ. 13 (75) शैक्षणिक–I/मदसविवि/ 2011/ 18583–95 दिनांक 04.05.2011 को प्रेषित की गई । कार्यवृत्त के निर्णय संख्या 21 के संदर्भ में प्रो. रमाकान्त का पत्र दिनांक 11.05.11 प्राप्त हुआ । अन्य उपस्थित सदस्यों का कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ । | **शैक्षणिक–I** |
| **निर्णय** | निर्णय सं0 21 पर इस प्रेक्षण के साथ कि प्रो0 मनोज कुमार के अवकाश प्रकरण का पुनर्परीक्षण करते हुए अवकाश स्वीकृत किया जावे एवं नियमानुसार अवकाश नहीं होने पर असाधारण अवकाश हेतु राज्य सरकार को निवेदन किया जावे, शेष कार्यवृत की पुष्टि की गयी। | |
| **मद सं. 2** | विशेषाधिकारी, उच्च शिक्षा, राज्यपाल सचिवालय, राजभवन, जयपुर के पत्र क्रमांक 26 (3) आर.बी./2007/687 दिनांक 08.02.11 **(प्रतिलिपि संलग्न कार्यसूची का परिशिष्ठ ५)** के आधार पर महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर के अधिनियम, 1987 के परिनियम की धारा 1 (1) क के अन्तर्गत महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर के कुलपति पद पर नियुक्ति हेतु नामों की सूची तैयार किये जाने हेतु चयन समिति में प्रबन्ध बोर्ड द्वारा दिनांक 28.01.11 की बैठक में नाम निर्देशित किये गये प्रो. बी.एम. शर्मा, कुलपति, कोटा विश्वविद्यालय, कोटा के स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति का नाम निर्देशन करना । | **शैक्षणिक–I** |
| **निर्णय** | प्रबंध बोर्ड द्वारा सर्वसम्मति से डा0 जी.एल.वर्मा, सेवानिवृत प्राचार्य, मेडिकल कॉलेज, कोटा का नाम निर्देशित किया गया। | |
| **मद सं. 3** | प्रबन्ध बोर्ड की निर्णय संख्या 6 दिनांक 26 मार्च, 2011 में लिए गए निर्णय के अनुसार प्रतिवेदन है कि, वित्त निर्णायक समिति (गैर आयोजना) वित्तीय वर्ष 2011–12 की दिनांक 24.11.2010 को राज्य सरकार के वित्त विभाग में सम्पन्न हुई बैठक का कार्यवृत्त प्राप्त हो गया है, जो विचारार्थ संलग्न है **(कार्यसूची का परिशिष्ठ– II)** जिसके अनुसार वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु सहायतार्थ पुनरीक्षित अनुदान की राशि 170.00 लाख तथा | **लेखा एवं वित्त** |

वित्तीय वर्ष 2011–12 के लिए सहायतार्थ अनुदान की राशि केवल 000.01 लाख रखी गई है ।

इसके साथ ही विश्वविद्यालय की वित्त समिति की दिनांक 25.01.2011 को सम्पन्न 29वीं बैठक के कार्यवृत्त **(कार्यसूची का परिशिष्ठ– III)** पर विचार करना ।

**निर्णय** विश्वविद्यालय बजट वर्ष 2011–12 तथा विश्वविद्यालय की वित्त समिति की दिनांक 25.01.2011 को सम्पन्न 29वीं बैठक के कार्यवृत्त **(कार्यसूची का परिशिष्ठ– III)** का अनुमोदन किया गया। यह भी निर्णय लिया गया कि Centre for Enterpenurship and Small Business Managment एवं अन्य विभागों की समसत प्राप्तियां विश्वविद्यालय के जनरल फंड में सम्मिलित हो एवं सभी विभागों को जिस रूप में भी राशि प्राप्त हो (यथा पंजीयन, सेमीनार एवं कांफ्रेंस आदि) उसे बजट में सम्मिलित किया जावे ।

**मद सं. 4** महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर में योग विज्ञान एवं मानव संचेतना विभाग स्थापित है जिसमें बी.एससी. नेचुरोपैथी एण्ड यौगिक साइंस त्रिवर्षीय उपाधि पाठ्यक्रम के साथ एक वर्षीय डिप्लोमा इन योगा एज्यूकेशन एण्ड ह्यूमन साइंस पाठ्यक्रम संचालित है । **संस्थापन**

विश्वविद्यालय एवं स्वामी विवेकानन्द योग अनुसंधान संस्थान (डीम्ड विश्वविद्यालय) के मध्य हुए इकरार के अनुसार इस विभाग में योग प्रशिक्षक उपलब्ध कराने का पूर्ण दायित्व VYASA का है ।

चूंकि विभाग का एक वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम और त्रिवर्षीय उपाधि पाठ्यक्रम संचालित है । अतः विभाग में योग प्रशिक्षकों के साथ–साथ अर्हताधारी व्याख्याता लिये जाने के प्रयोजन से उस करारनामें में जहां–जहां Yog Instructor प्रयोग हुआ है उसे संशोधित करते हुए Yog Instructor or Qualified Lecturer शब्द जोड़े जाने पर विचार करना तथा स्वीकृति की स्थिति में व्यासा संस्थान को उक्त करार **(कार्यसूची का परिशिष्ठ– IV)** को तदनुसार संशोधन करने की सहमति लिये जाने पर विचार करना ।

**निर्णय** **स्वामी विवेकानन्द योग अनुसंधान संस्थान(डीम्ड विश्वविद्यालय), बेंगलोर के साथ संशोधित एम.ओ.यू. किया जावे। इस हेतु प्रो0 के.के.शर्मा को अधिकृत किया गया साथ ही एम.ओ.यू. से विश्वविद्यालय पर कोई वित्तीय भार नहीं पड़े, ऐसा भी निर्णय किया गया।**

**मद सं. 5** प्रबंध बोर्ड़ की निर्णय संख्या 21 दिनांक 08–01–2010 की अनुपालना में वर्ष 1997–98 में सहायक के पद के 34 प्रतिशत कोटा के अन्तर्गत रिक्त उपलब्ध 02 पदों पर विश्वविद्यालय द्वारा अंगीकृत राजस्थान **संस्थापन**

विश्वविद्यालय (अशैक्षणिक) कर्मचारी नियुक्ति नियम 1974 के नियम संख्या 15 एवं 16 के प्रावधानानुसार विभागीय चयन समिति की अनुशंसाओं पर 02 वरिष्ठ लिपिकों को सहायक के पद के वेतनमान रूपये 5000–150–8000 में दिनांक 31 मार्च 1998 से इस शर्त के साथ पदोन्नति प्रदान की गई कि यह पदोन्नति प्रबंध बोर्ड़ के निर्णय के अध्यधीन होगी तथा प्रबंध बोर्ड़ के निर्णय के अनुसार इन्हें एरियर का भुगतान देय नहीं होगा । पदोन्नति आदेश क्रमांक एफ.1( ) संस्था/मदसविवि/2010/37408 दिनांक 09–10–2010 जारी किया जा चुका है उक्तानुसार प्रदत्त पदोन्नति की पुष्टि हेतु प्रबंध बोर्ड़ के समक्ष मद प्रस्तुत है । **(कार्यसूची का परिशिष्ठ– V)**

**निर्णय** स्थगित किया गया। साथ ही प्रबंध बोर्ड ने निर्णय किया कि पिछली प्रबंध बोर्ड बैठकों में लिये गये निर्णय जिनकी पुष्टि प्रबंध बोर्ड की बैठकों में नहीं की गयी की सूची तैयार की जावे। इसकी मॉनीटरिंग हेतु प्रो0 पी. एस.वर्मा को अधिकृत किया गय।

**मद सं. 6** **माननीय कुलपति महोदय के निम्नांकित प्रतिवेदित आदेशों का अभिलेखन एवं पुष्टि करनाः–**

**शैक्षणिक–I**

**(1) <u>प्रतिवेदन है कि</u>** UGC Regulations on minimum qualifications for appointment of teachers and other academic staff in Universities & Colleges and measures for the maintenance of standards in Higher Education 2010 दिनांक 30–6–2010 में वर्णित विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर पदों के न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता/वांछित योग्यताओं और अहर्ताओं को माननीय कुलपति महोदय द्वारा विश्वविद्यालय के अधिनियम की धारा 19 (4) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तुरन्त प्रभाव से स्वीकृति प्रदान की है । तदनुसार विश्वविद्यालय के "Ordinances Governing Service Conditions etc. of University Teachers and Employees 1998" के अंतर्गत Schedule-I (Categories and Nature of Teaching and Non-Teaching Post in the University) में उक्त पदों के लिए विद्यमान शैक्षणिक योग्यताओं एवं अर्हताओं को संशोधित रूप में प्रवृत किया गया । तद्नुसार अधिसूचना क्रमांक एफ 13 ( ) शैक्ष–प्रथम/मदसविवि/2010/31503–891 दिनांक 27.08.10 जारी की गयी । **(कार्यसूची का परिशिष्ठ– VI)**

**निर्णय** विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 30.06.2010 को मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर की ऐकेडमिक कौंसिल ने संशोधित कर प्रस्ताव पारित किया है, उसी के अनुरूप इस विश्वविद्यालय की ऐकेडमिक कौंसिल में भी प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किया जावे एवं तदनुरूप राज्य के समस्त विश्वविद्यालयों में एकरूपता बनाये जाने संशोधित अधिसूचना लागू करने हेतु राज्य सरकार को निवेदन किया जावे।

(2) <u>प्रतिवेदन है कि</u> UGC Regulations on minimum qualifications for appointment of teachers and other academic staff in Universities & Colleges and measures for the maintenance of standards in Higher Education 2010 दिनांक 30–6–2010 में वर्णित विश्वविद्यालय के सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष/महाविद्यालय सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष के पदों की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता/वांछित योग्यताओं और अहर्ताओं को माननीय कुलपति महोदय द्वारा विश्वविद्यालय के अधिनियम की धारा 19 (4) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तुरन्त प्रभाव से स्वीकृति प्रदान की है । तदनुसार विश्वविद्यालय के "Ordinances Governing Service Conditions etc. of University Teachers and Employees 1998" के अंतर्गत Schedule-III A-II-(b) में उक्त पदों के लिए विद्यमान शैक्षणिक योग्यताओं एवं अर्हताओं को संशोधित रूप में प्रवृत्त किया गया । तद्नुसार अधिसूचना क्रमांक एफ 13 ( ) शैक्ष–प्रथम/मदसविवि/2010/69–459 दिनांक 05.01.11 जारी की गयी । **(कार्यसूची का परिशिष्ठ– VII)** **शैक्षणिक–I**

**निर्णय** विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 30.06.2010 को मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर की ऐकेडमिक कौंसिल ने संशोधित कर प्रस्ताव पारित किया है, उसी के अनुरूप इस विश्वविद्यालय की ऐकेडमिक कौंसिल में भी प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किया जावे एवं तदनुरूप राज्य के समस्त विश्वविद्यालयों में एकरूपता बनाये जाने संशोधित अधिसूचना लागू करने हेतु राज्य सरकार को निवेदन किया जावे।

(3) <u>प्रतिवेदन है कि</u> वित्तीय वर्ष 2010–11 के स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रम/यूजीसी के संशोधित अनुमान विश्वविद्यालय के अधिनियम की धारा 19 (4) में प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत माननीय कुलपति महोदय द्वारा स्वीकृत किए गए है तद्नुसार कार्यालय आदेश एफ 6 ( ) स्ववित्त/लेखा–I/मदसविवि/2010–11/12346–63 दिनांक 12.03.2011 जारी किया । **(कार्यसूची का परिशिष्ठ– VIII)** **लेखा एवं वित्त**

**निर्णय** पुष्टि की गयी।

(4) <u>प्रतिवेदन है कि</u> वित्त विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक F. 6 (1) FD (Rules)/2008, Jaipur Dated 23-03-2011 के अनुरूप व शर्तो के अधीन विश्वविद्यालय पेन्शनर्स/परिवार पेन्शनर्स को दिनांक 01.01.2011 से महंगाई राहत 45 प्रतिशत के स्थान पर 51 प्रतिशत भुगतान की स्वीकृति के आदेश माननीय कुलपति महोदय ने प्रदान किये है । तद्नुसार कार्यालय आदेश क्रमांक F 6 (41)A&F/MDSU/ 2011/ 16867-918 dated 11.04.2011 जारी किया गया है । **(कार्यसूची का परिशिष्ठ–IX)** **लेखा एवं वित्त**

**निर्णय** पुष्टि की गयी।

| | | | |
|---|---|---|---|
| | (5) <u>**प्रतिवेदन है कि**</u> राज्य सरकार वित्त विभाग (सामान्य वित्तीय एवं लेखा विभाग) के पत्रांक प.1 (1)वित्त/साविलेवि/2007 दिनांक 13.04.2011 से जारी परिपत्र संख्या 8/2011 में वर्णित आदेश के अनुरूप म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर के Budget, Financial & Accounts Rules, 1997 के नियम 152 में खुली निविदाओं हेतु निविदा फार्म का मूल्य निर्धारण का संशोधन माननीय कुलपति महोदय द्वारा विश्वविद्यालय के अधिनियम की धारा 19 (4) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए किया गया है । तदनुसार कार्यालय आदेश क्रमांक एफ 6 ( ) मदसविवि/विवले–II (रूल्स)/2011/ 20595 दिनांक 24.05.11 जारी किया गया । **(कार्यसूची का परिशिष्ठ–ग)** | | लेखा एवं वित्त |
| **निर्णय** | पुष्टि की गयी। साथ ही प्रबंध बोर्ड ने निर्णय किया कि विश्वविद्यालय के समस्त विभागों (सी.ई.एस.बी.एम. सहित)के स्त्रोतों से प्राप्त समस्त आय–व्यय को विश्वविद्यालय के केन्द्रीय बजट में दर्शाया जाना सुनिश्चित किया जावे। | | |
| | (6) <u>**प्रतिवेदन है कि**</u> वित्त विभाग राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक F 6 (1) FD (Rules) 2008, Jaipur Dated 23.03.2011 के अनुरूप व शर्तो के अधीन विश्वविद्यालय पेन्शनर्स/परिवार पेन्शनर्स को दिनांक 01.01.2001 से महंगाई राहत 45 प्रतिशत के स्थान पर 51 प्रतिशत भुगतान की स्वीकृति के आदेश माननीय कुलपति महोदय ने प्रदान किये है । तद्नुसार कार्यालय आदेश क्रमांक F6(41)A&F/MDSU/2011/16867-918 Dated 11.04.2011 जारी किया गया । **(कार्यसूची का परिशिष्ठ–XI)** | | लेखा एवं वित्त |
| **निर्णय** | उक्त प्रतिवेदित मद मद सं0 6 (4) में प्रस्तुत होकर प्रबंध बोर्ड द्वारा पुष्टि किया जा चुका है। | | |
| | (7) <u>**प्रतिवेदन है कि**</u> विश्वविद्यालय के अधिनियम की धारा 19 (4) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माननीय कुलपति महोदय ने 01 जुलाई, 2011 से 30 सितम्बर, 2011 तक तीन माह के लिए लेखानुदान की स्वीकृति प्रदान की है । तदनुसार कार्यालय आदेश क्रमांक एफ 6 (87) विवले/लेखा–I/बजट/ मदसविवि/ 2011/ 11036 दिनांक 01.07.11 जारी किया गया । **(कार्यसूची का परिशिष्ठ–गप)** | | लेखा एवं वित्त |
| **निर्णय** | पुष्टि की गयी। | | |
| **मद सं. 7** | प्रबंध बोर्ड की निर्णय संख्या 47 दिनांक 04.07.2009 द्वारा विश्वविद्यालय के सामान्य प्रावधायी निधि के नियम 14 (2) के अन्तर्गत सामान्य प्रावधायी निधि पर वित्तीय वर्ष 2007–08 से आगे की अवधि के लिये ब्याज दर की संस्तुति करने हेतु प्रबन्ध बोर्ड द्वारा नामित दो सदस्यों में से एक सदस्य श्री कमल बैरवा, विधायक निवाई (टौंक) का प्रबन्ध बोर्ड के सदस्य के रूप में कार्यकाल 25.05.2011 को समाप्त हो जाने के फलस्वरूप श्री बैरवा के स्थान पर प्रबन्ध बोर्ड के किसी अन्य सदस्य का मनोनयन करना । | | लेखा एवं वित्त |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **निर्णय** | श्री कमल बैरवा, विधायक, निवाई (टौंक) का प्रबंध बोर्ड में पुन मनोनयन किया गया है। श्री कमल बैरवा को उक्त समिति में मनोनीत किया जाता है। | | |
| **मद सं. 8** | विश्वविद्यालय खेल बोर्ड पर प्रबन्ध बोर्ड के दो सदस्यों का तीन वर्ष की अवधि के लिए मनोनयन करना ।<br><br>**<u>स्पष्टीकरण :</u>**<br>प्रबन्ध बोर्ड ने निश्चय संख्या 43 दिनांक 04.07.2009 द्वारा प्रबन्ध बोर्ड के सदस्य डॉ. रघु शर्मा एवं प्रो.एम.एल. पीतलिया को दो वर्ष अथवा प्रबन्ध बोर्ड की सदस्यता अवधि तक के लिए विश्वविद्यालय खेल बोर्ड का सदस्य मनोनीत किया था । दोनों सदस्यों की प्रबन्ध बोर्ड की सदस्यता अवधि पूर्ण हो चुकी है ।<br><br>अतः उक्त मद निर्णय हेतु प्रस्तुत किया गया है । | | **स्पोर्टस बोर्ड** |
| **निर्णय** | विधायक श्री रघु शर्मा का प्रबंध बोर्ड में पुन मनोनयन किया गया है। श्री रघु शर्मा एवं प्रोफेसर के.के.शर्मा को विश्वविद्यालय खेल बोर्ड में प्रबंध बोर्ड के सदस्य के रूप में मनोनयन किया गया। | | |
| **मद सं. 9** | विश्वविद्यालय खेल बोर्ड संविधान के पृष्ठ संख्या 02 पर अंकित टिप्पणी 02 के अनुसार प्रबन्ध बोर्ड द्वारा खेल बोर्ड पर मनोनीत सदस्यों में से एक सदस्य को खेल बोर्ड का अध्यक्ष मनोनीत करना । | | **स्पोर्टस बोर्ड** |
| **निर्णय** | माननीय विधायक श्री रघु शर्मा को विश्वविद्यालय खेल बोर्ड का अध्यक्ष मनोनीत किया गया। | | |

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से विचार–विमर्श के पश्चात् निम्नानुसार निर्णय लिये गयेः–

1. डॉ. रघु शर्मा द्वारा विश्वविद्यालय के खेलकूद बोर्ड में संविदा पर चयनित ट्रेनरों को निर्धारित मानदेय पर नियुक्ति देने की मांग की गयी जिस पर माननीय कुलपति महोदय द्वारा स्पोर्ट्स अनुभाग द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत करने के बाद शीघ्र कार्यवाही करने हेतु कुलसचिव को निर्देशित किया गया ।

2. विश्वविद्यालय में शैक्षणिक उन्नयन के लिए माननीय सदस्य प्रो. रमाकान्त एवं आधारभूत संरचनाओं के लिए माननीय सदस्य प्रो. पी.एस. वर्मा को प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए अधिकृत किया गया ।

3. विश्वविद्यालय शिक्षकों द्वारा छठे वेतनमान की बकाया एरियर राशि को जी.पी.एफ. खाते में जमा कराये जाने बाबत् दिये गये प्रतिवेदन पर विचार कर निर्णय लिया गया कि चूंकि मद सं. तीन के तहत विश्वविद्यालय बजट वर्ष 2011–12 का अनुमोदन किया जा चुका है, अतएव बकाया एरियर राशि को जी.पी.एफ. खाते में जमा करने की कार्यवाही की जावे ।

4. चूंकि राज्य सरकार द्वारा प्रशासनिक सचिव–कुलपति के पद को समाप्त किया जा चुका है अतएव कुलपति सचिवालय में प्रशासनिक सचिव–कुलपति के रूप में किसी अधिकारी की नियुक्ति नहीं की जावे ।

अन्त में अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद के साथ बैठक की कार्यवाही सम्पन्न की गयी ।

**कुलपति** **कुलसचिव**